Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झुंझुनूं में नायब तहसीलदार एवं पटवारी 7 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *08 फरवरी, बुधवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झुंझुनूं इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अर्जुन राम नायब तहसीलदार मण्ड्रेला, झुंझुनूं एवं भवानी सिंह जाट पटवारी पटवार हल्का नरहड़, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं को परिवादी से **7 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की झुंझुनूं इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि का सीमाज्ञान एवं खाता विभाजन करने की एवज में अर्जुन राम नायब तहसीलदार मण्ड्रेला, झुंझुनूं एवं भवानी सिंह जाट पटवारी पटवार हल्का नरहड़, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं द्वारा **15 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की झुंझुनूं इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ईस्माईल खान** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये भवानी सिंह जाट पुत्र श्री मानसिंह निवासी कंवरपुरा, पुलिस थाना बगड़, जिला झुंझुनूं हाल पटवारी पटवार हल्का नरहड़, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं को परिवादी से **7 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में संलिप्तता के आधार पर अर्जुन राम नायब तहसीलदार मण्ड्रेला, झुंझुनूं को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।